जिला गजट

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

सधारण अंक	विक्रम संवत्	10(षु0) फाल्गुन 1933–34 (षा0)
05/2012	2068–69	जमषेदपुर,गुरूवार, 01/03/12

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,पूर्वी सिंहभूम,जमशेदपुर द्वारा निकाले गये राजस्व एवं भूमि सूधार विभाग का वापसी अधिसूचना/अधिघोषणा।

विषय सूची	पृष्ट संख्या
1. राजस्व एवं भूमि सूधार विभाग से सम्बंधित अधिसूचना/अधिघोषणा।	01–11

झारखण्ड सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू0–अर्जन निदेषालय)

वापसी अधिसूचना/अधिघोषणा

संख्या–10/डी.एल.ए.पूर्वी सिंह/यू.सी.आई.एल.–37/2008–86/रा0,दिनांक 31/01/12

भू0–अर्जन अधिनियम सन् 1894 की धारा –48(1) के अन्तर्गत प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल द्वारा पूर्वी सिंहभूम, जिलान्तर्गत मौजा एवं ग्राम–तालसा, थाना नं0– 1173 में यू0सी0आई0एल0 के बान्दुहुड़ांग माइन्स खनन परियोजना हेतु अर्जनाधीन रकवा 276.62 एकड़ रैयती भूमि के संबंध में अधिसूचना संख्या– 10/डी0एल0ए0 पू0सिंह / यू0सी0आई0एल0 – 37/08–120/रा0, दिनांक 26.02.09 एवं अधिधोशणा 10/ डी0एल0ए0, पू0सिंह / यु0सी0आई0एल0– 37/08–121/रा0, दिनांक 26.02.09 तथा अधिसूचना एवं अधिधोशणा का प्रकाषन जिला गजट पाक्षिक अंक संख्या 03/2009 दिनांक 04.03.2009 के पृश्ठ संख्या 01–08 एवं दैनिक समाचार पत्र उदितवाणी एवं दैनिक जागरण में अधिसूचना का प्रकाषन दिनांक 31.03.09 को तथा उदितवाणी एवं प्रभात खबर में अधिधोशणा का प्रकाषन 07.04.09 को हुआ है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेषक, यु0सी0आई0एल0 के पत्रांक 419/2010, दिनांक 11.02.2010 के आलोक में अनुरोध किया गया है कि अर्जनाधीन रकवा 232.37 एकड़ भूमि को भू–अर्जन प्रक्रिया से वापस लिया जाय।

अत: उक्त आलोक में रकवा 232.37 एकड़ भूमि जिसका विवरण निम्नवत है अर्जन प्रक्रिया से वापस लिया जाता है। कुल रकवा 276.62 एकड़ भूमि में से रकवा 232.37 एकड़ भूमि वापसी के पश्चात् षुद्ध अर्जित रकवा 44.25 एकड़ भूमि पढ़ा एवं समझा जाय:–